निर्णय अज अदालत अभिलाषा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

मु0नं0 103/20 निर्णय दिनांकः–22.10.2020

1. जयसिंह पुत्र रामप्रसाद
2. बलबीर पुत्र रामप्रसाद
3. उम्मेद उर्फ वेदपाल पुत्र रामप्रसाद
4. जयपाल पुत्र बिरजाराम
5. महीपाल पुत्र बिरजाराम
6. मोहर सिह पुत्र बिरजाराम
7. कर्णसिंह पुत्र गोपाल
8. जयकरण पुत्र गोपाल
9. सोहन पुत्र गोपाल
10. रामलाल पुत्र गोपाल
11. माईलाल पुत्र मूंगाराम
12. ओमप्रकाश पुत्र मूंगाराम
13. शीशराम पुत्र मूंगाराम
14. सत्यवीर पुत्र मूंगाराम
15. श्रीमती भतेरी पत्नि राजूराम
16. अमर सिह पुत्र राजूराम
17. प्रमोद कुमार पुत्र राजूराम

समस्त जाति जाट निवासी श्योसिंहपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुझुनूं

––वादीगण

बनाम

1. श्रीमती संतोष पुत्री बिरजाराम स्त्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी बास बिजोली तहसील सूरजगढ़
2. श्रीमती अन्जना पुत्री राजूराम स्त्री ईश्वर सिंह जाति जाट निवासी कुलहरियों का बास तहसील सूरजगढ़ीमती भाती पत्नी रूपचन्द।
3. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैक डुलानियॉ तहसील सूरजगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक
4. स्टेट बैक औफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पिलानी तहसील सूरजगढ़ जरियें शाखा प्रबन्धक
5. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरियें तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू

––––––प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगण – श्री संदीप मान
प्रतिवादीगण –श्री मनोज डीग्रवाल

दावा [illegible] रिकार्ड दुरस्ती [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:56:57 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

संक्षेप में तथ्य वाद इस [illegible] न0 10 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा, खसरा न0 59 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा, गत खसरा न0 95 रकबा 11 बिघा 3 बिस्वा गत खसरा न0 96 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम स्योसिंहपुरा स्थित है जिसके दौरान भूप्रबन्ध हाल खसरा न0 133,134,136,137,138,163,164,165,166,167,205/138,206/137, 207/137 कुल रकबा 13.52 है0 बने हैं । उक्त हाल खसरा के हाल खसरा न0 138 रकबा

उपखण्ड, अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

1.89 है0, 164 रकबा 0.55 है0,134 रकबा 2.36 है0,166 रकबा 0.35 है0, 136 रकबा 1.96 है0, 167 रकबा 0.34 है0, 133 रकबा 0.61 है0, 239/133 रकबा 0.61 है0, 240/133 रकबा 0.61 है0, 241/133 रकबा 0.62 है0, 165 रकबा 0.60 है0, 205/138 रकबा 0.23 है0, 206/137 रकबा 0.15 है0, 137 रकबा 0.95 है0, 163 रकबा 0.50 है0, 207/137 रकबा 1.19 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 13.52 है0। जमीन गत खसरा न0 73/2 रकबा 10 बीघा, खसरा न0 354/2 रकबा 18 बीघा वाके ग्राम डुलानियाँ में स्थित है जिसके दौराने भूप्रबन्ध हाल खसरा न0 139 रकबा 1.37 है0, खसरा न0 142 रकबा 1.35 है0, खसरा न0 229 रकबा 4.39 है0 कुल रकबा 7.11 है0 बने है। जमीन हाल खसरा न0 111 रकबा 0.02 है0 गैर मुमकिन कुआ, खसरा न0 112 रकबा 0.04 है0 गैर मुमकिन गुण वाके ग्राम श्योसिंहपुरा स्थित है ।

जेर बहस जमीन को बतौर लगान तत्कालिन ठिकान नवलगढ़ से वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 के पूर्वज उक्त केशु उर्फ केशुराम ने काश्त हेतु ली थी उक्त कृषि भूमि का लगान पहले तत्कालिन ठिकाने को अदा किया। ठिकाना खालसा होने के बाद में राजस्थान सरकार को अदा किया । उक्त भूमि का टीनेन्ट पहले केशुराम हुआ जिसके देहान्त के बाद उत्तराधिकार में उसके पॉचों पुत्रों को बहिस्सा बराबर मिली । जिसका नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांक 14.07.1956 को उसके पुत्रों रामप्रसाद, बिरजाराम, गोपाल, मूंगाराम व राजूराम के नाम बहिस्सा कृषि भूमि का भरा गया जिसमें प्रत्येक पुत्र का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ । तथाकथित विवादित भूमि का विभाजन सन 1983 में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने केशुराम के पॉचों पुत्रों के मध्य कर गलती से मूंगाराम के हिस्से में रकबा 2.70 है0 की जगह 3.06 है0 दर्ज कर दिया तथा रामप्रसाद के वारिसों के रकबा 2.70 है0 की जगह 2.33 है0 दर्ज कर दिया। इस प्रकार वादीगण न0 1 लगायत 3 के खातेदारी में रकबा 0.37 है0 जमीन कम दर्ज कर दी तथाकथित विभाजन से सही हिस्से अनुसार विभाजन नहीं किया। इस कारण जमीन वाद वर्णित धारा 2 में वादीगण 1 लगायत 3 को 1/5 हिस्सा वादीगण न0 4 लगायत 6 को 1/5 हिस्सा का, वादीगण न0 7 लगायत 10 को 1/5 हिस्सा, वादीगण न0 11 लगायत 14 को 1/5 हिस्सा व वादीगण न0 15 लगायत 17 को 1/5 बहिस्सा का खातेदार काश्तकार करवाने के वादीगण अधिकारी है। तथाकथित विभाजन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत अंकन वादीगण के अधिकारों के खिलाफ शुरू से शुन्य है जिसको [illegible] है। इसी अनुसार विभाजन कर घोषणा के मुताबिक अलग–अलग काश्त काफी [illegible] से कर [illegible] रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। जमीन हाल [illegible] न0 139 रकबा 1.37 है0 रामप्रसाद के वारिस वादीगण 1 लगायत 3 तथा जमीन हाल खसरा न0 142 रकबा 1.35 है0 को बिरजाराम के विधिक वारिस वादीगण न0 4 लगायत 6 तथा जमीन हाल खसरा न0 229 रकबा 4.39 है0 को गोपाल, मूंगाराम व राजूराम के वारिस वादीगण न0 7 लगायत 17 मौके पर काबिज काश्त है इसी प्रकार विधिवत विभाजन करवाना चाहते है। वादीगण अपने–अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:56:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

हिस्से पर मकान बनाकर काबिज काश्त है। विवादित भूमि में प्रतिवादीगण न0 1 व 2 का भी नाम दर्ज है जबकि प्रतिवादी न0 1 व 2 ने अपने पिता की सम्पति में कोई हिस्सा नहीं लिया अपना हक हिस्सा अपने भाईयों व पिता के हक में छोड़ दिया परन्तु गलती से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज कर दिया इस कारण उनकों फरीक दावा बनाया गया।

वादीगण दिनांक 04.08.2020 को तहसीलदार सूरजगढ़ के पास राजस्व रिकार्ड दुरस्त करवाने के लियें गये तो तहसीलदार सूरजगढ़ ने कहा की मेरे क्षेत्राधिकार में राजस्व रिकार्ड दुरस्त करने का अधिकार नहीं आता आपको उपखण्ड अधिकारी के यहा दावा करके आदेश लेकर आना होगा। इस प्रकार तहसीलदार ने राजस्व रिकार्ड को दुरस्त करने से मना करने पर यह दावा अदालत हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ। दावा के लिये बिनायमुखास्मत दिनांक 04.08.2020 को तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा रिकार्ड दुरस्त करने से मना करने के दिन अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ। दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व 88 के तहत पेश किया गया।

दावा पेश कर निवेदन किया है कि दावा डिक्री किया जाकर जमीन हाल खसरा न0 138 रकबा 1.89 है0, जमीन हाल खसरा न0 164 रकबा 0.55 है0, जमीन हाल खसरा न0 134 रकबा 2.36 है0, जमीन हाल खसरा न0 166 रकबा 0.35 है0, जमीन हाल खसरा न0 136 रकबा 1.96 है0, जमीन हाल खसरा न0 167 रकबा 0.34 है0, जमीन हाल खसरा न0 133 रकबा 0.61 है0, जमीन हाल खसरा न0 239/133 रकबा 0.61 है0, जमीन हाल खसरा न0 240/133 रकबा 0.61 है0, जमीन हाल खसरा न0 241/133 रकबा 0.62 है0, जमीन हाल खसरा न0 165 रकबा 0.60 है0, जमीन हाल खसरा न0 205/138 रकबा 0.23 है0, जमीन हाल खसरा न0 206/137 रकबा 0.15 है0, जमीन हाल खसरा न0 137 रकबा 0.95 है0, जमीन हाल खसरा न0 163 रकबा 0.50 है0, जमीन हाल खसरा न0 207/137 रकबा 1.19 है0, जमीन हाल खसरा न0 111 रकबा 0.02 है0, जमीन हाल खसरा न0 112 रकबा 0.04 है0 कुल किता 18 कुल रकबा 13.58 है0 वाके ग्राम श्योसिंहपुरा तहत तहसील सूरजगढ़ में वादीगण न0 1 लगायत 3 का 1/5 बहिस्सा, वादीगण न0 4 लगायत 6 का 1/5 बहिस्सा, वादीगण न0 7 लगायत 10 का 1/5 बहिस्सा, वादीगण न0 11 लगायत 14 का 1/5 बहिस्सा, वादीगण न0 15 लगायत 17 का 1/5 बहिस्सा के कोटिनेन्टस (सह आसामी) हैं।

जमीन हाल खसरा न0 139 रकबा 1.37 है0, जमीन हाल खसरा न0 142 रकबा 1.35 है0, जमीन हाल खसरा न0 229 रकबा 4.39 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 7.11 है0 वाके ग्राम डुलानियॉं तहत तहसील सूरजगढ़ स्थित में वादीगण न0 1 लगायत 3 का 1/5 बहिस्सा, वादीगण न0 4 लगायत 6 का 1/5 बहिस्सा, वादीगण न0 7 लगायत 10 का 1/5 बहिस्सा, वादीगण न0 11 लगायत 14 का 1/5 बहिस्सा, वादीगण न0 15 लगायत 17 का 1/5 बहिस्सा के कोटिनेन्टस (सह आसामी) हैं। घोषणा के मुताबिक विभाजन कर वर्णित धारा 16 क,ख में वादीगण न0 1 लगायत 3 का जमीन हाल खसरा न0 139 रकबा 1.37 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:56:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड, अधिकारी, सूरजगढ

Scanned with CamScanner

का कब्जा काश्त होने से व वादीगण न0 4 लगायत 6 का जमीन हाल खसरा न0 142 रकबा 1.35 है0 व वादीगण न0 7 लगायत 17 का जमीन हाल खसरा न0 229 रकबा 4.39 है0 का विभाजन किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जावे और बाद विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री जारी की जावें। राजस्व रिकार्ड में वादीगण न0 3 का नाम वेदपाल व वेदपाल सिंह की जगह उम्मेद पुत्र रामप्रसाद दर्ज करने का आदेश दिया जावें। पूर्व में तथाकथित विभाजन को निरस्त किया जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

वाद पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नकल दावा भेजकर कार्य की सूचना दी गई। प्रतिवादीगण 1 व 2 ने अपना ईकबाली जवाब दावा पेश किया व दावा डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति न होना जाहिर किया । शेष प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुये। वादीगण ने अपने दावे के कथन की पुष्टि में मौखिक साक्ष्य में जयसिंह पी डब्ल्यू 1, जयपाल पी डब्ल्यू 2, कर्ण सिंह पी डब्ल्यू 3 व माईलाल पी डब्ल्यू 4 के बयान शपथ पत्र पेश किये। मौखिक साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रदर्श–1, जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रदर्श–2, जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रदर्श–3, जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रदर्श–4, जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रदर्श–5, जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रदर्श–6, जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रदर्श–7, जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रदर्श–8, जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रदर्श–9, जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रदर्श–10, जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रदर्श–11 आधार कार्ड बहक उम्मेद प्रदर्श–12, फोटो कॉपी परिचय पत्र बहक उम्मेद प्रदर्श–13, राशनकार्ड बहक उम्मेद प्रदर्श–14, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–15, मिसल हैकियत 1999 प्रदर्श–16, इन्तकाल संख्या 2 प्रदर्श–17, जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 प्रदर्श–18, जमाबन्दी सम्वत 2024 से 2027 प्रदर्श–19, जमाबन्दी सम्वत 2032 से 2035 प्रदर्श–20, इन्तकाल संख्या 88 प्रदर्श–21, खतौनी सम्वत 2044 से 2063 प्रदर्श–22, खतौनी सम्वत 2044 से 2063 प्रदर्श–23, खतौनी सम्वत 2044 से 2063 प्रदर्श–24, खतौनी सम्वत 2044 से 2063 प्रदर्श–25, खतौनी सम्वत 2044 से 2063 प्रदर्श–26, जमाबन्दी सम्वत 2052 से 2055 प्रदर्श–27, जमाबन्दी सम्वत 2056 से 2059 प्रदर्श–28, जमाबन्दी सम्वत 2056 से 2059 प्रदर्श–29, जमाबन्दी सम्वत 2056 से 2059 प्रदर्श–30 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–31, जमाबन्दी सम्वत 2031 से 2034 प्रदर्श–32, खतौनी सम्वत 2044 से 2063 प्रदर्श–33, जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 प्रदर्श–34, जमाबन्दी सम्वत 2054 से 205[illegible] प्रदर्श–35 दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:56:57 IST
Reason: SelfAttested

इसके पश्चात बहस वाद सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया प्रतिवादीगण 1 व 2 ने ईकबाली जवाब दावा पेश किया व वाद–वादीगण डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति न होना जाहिर किया । विवादित अराजियात वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है । वादीगण का पूर्वज केशु उर्फ केशुराम था जिसके पॉच लड़के रामप्रसाद, बिरजाराम,गोपाल,मूंगाराम व

उपखण्ड अधिकारी. सूरजगढ

Scanned with CamScanner

राजूराम हुये। केशुराम के देहान्त होने पर इनके पुत्रों को उत्तराधिकार में प्रत्येक को बहिस्सा 1/5 प्राप्त हुई जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है परन्तु एक तथकथित विभाजन दिनांक 21.01.1983 को हुआ जिसमें राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन दर्ज कर दिया विभाजन से मूंगाराम के हिस्से में 2.70 है0 की जगह 3.06 है0 दर्ज कर दिया तथा रामप्रसाद के वारिसों के रकबा 2.70 है0 की जगह 2.33 है0 दर्ज कर दिया इस प्रकार वादीगण न0 1 लगायत 3 के खातेदारी में रकबा 0.37 है0 कम दर्ज कर दिया, गलती से सही हिस्से अनुसार विभाजन नही किया। अब वादीगण सही हिस्से के अनुसार विभाजन करवाना चाहते है जिसमें आपस में कोई विवाद नहीं है। वाद के कथनों के मुताबिक वादीगण विवादित भूमि में अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है । वाद में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से साबित है कि विवादित आराजियात वादीगण की पैतृक सम्पति है जिसमें सभी का बराबर–बराबर हिस्सा है। वाद में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड मौखिक साक्ष्य एवं सबूतों से वाद–वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पूर्व के तथाकथित विभाजन को निरस्त किया जाकर वाद–वादीगण डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण डिक्री किया जाकर जमीन हाल खसरा न0 138 रकबा 1.89 है0, जमीन हाल खसरा न0 164 रकबा 0.55 है0, जमीन हाल खसरा न0 134 रकबा 2.36 है0, जमीन हाल खसरा न0 166 रकबा 0.35 है0, जमीन हाल खसरा न0 136 रकबा 1.96 है0, जमीन हाल खसरा न0 167 रकबा 0.34 है0, जमीन हाल खसरा न0 133 रकबा 0.61 है0, जमीन हाल खसरा न0 239/133 रकबा 0.61 है0, जमीन हाल खसरा न0 240/133 रकबा 0.61 है0, जमीन हाल खसरा न0 241/133 रकबा 0.62 है0, जमीन हाल खसरा न0 165 रकबा 0.60 है0, जमीन हाल खसरा न0 205/138 रकबा 0.23 है0, जमीन हाल खसरा न0 206/137 रकबा 0.15 है0, जमीन हाल खसरा न0 137 रकबा 0.95 है0, जमीन हाल खसरा न0 163 रकबा 0.50 है0, जमीन हाल खसरा न0 207/137 रकबा 1.19 है0, जमीन हाल खसरा न0 111 रकबा 0.02 है0, जमीन हाल खसरा न0 112 रकबा 0.04 है0 कुल किता 18 कुल रकबा 13.58 है0 वाके ग्राम श्योसिंहपुरा तहत तहसील सूरजगढ़ में वादीगण न0 1 लगायत 3 का 1/5 बहिस्सा, वादीगण न0 4 लगायत 6 का 1/5 बहिस्सा, वादीगण न0 7 लगायत 10 का 1/5 बहिस्सा, वादीगण न0 11 लगायत 14 का 1/5 बहिस्सा, वादीगण न0 15 लगायत 17 का 1/5 बहिस्सा के कोटिनेन्टस (सह आसामी) हैं।

जमीन हाल खसरा न0 139 रकबा 1.37 है0, [illegible] खसरा न0 142 रकबा 1.35 है0, जमीन हाल खसरा न0 229 रकबा 4.39 है0 कुल [illegible] कुल रकबा 7.11 है0 वाके ग्राम डुलानियॉ तहत तहसील सूरजगढ़ [illegible] न0 1 लगायत 3 का 1/5 बहिस्सा, वादीगण न0 4 लगायत 6 का 1/5 बहिस्सा, वादीगण न0 7 लगायत 10 का 1/5 बहिस्सा, वादीगण न0 11 लगायत 14 का 1/5 बहिस्सा, वादीगण न0 15 लगायत 17 का 1/5 बहिस्सा के कोटिनेन्टस (सह आसामी) हैं। घोषणा के मुताबिक विभाजन कर वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:56:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

न0 1 लगायत 3 का जमीन हाल खसरा न0 139 रकबा 1.37 है0 का कब्जा काश्त होने से व वादीगण न0 4 लगायत 6 का जमीन हाल खसरा न0 142 रकबा 1.35 है0 व वादीगण न0 7 लगायत 17 का जमीन हाल खसरा न0 229 रकबा 4.39 है0 का उक्तानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह घोषणा के मुताबिक मौके पर जाकर पक्षकारान के मध्य कब्जा काश्त व मौके के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में रास्ते का प्रावधान रखते हुये विभाजन करे व विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:56:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner